झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक-2001

राजकीय मुद्रणालय;
रांची; 2001

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2001

विषय सूची

खण्ड-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 3 का संशोधन ।
3. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 6 का संशोधन ।
4. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 8 का संशोधन ।
5. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 10 का संशोधन ।
6. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 16 का संशोधन ।
7. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 17 का संशोधन ।
8. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 18 का संशोधन ।
9. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 21 का संशोधन ।
10. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 22 का संशोधन ।
11. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 26 का संशोधन ।
12. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 36 का संशोधन ।
13. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 37 का संशोधन ।
14. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 40 का संशोधन ।
15. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 43 का संशोधन ।
16. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 49 का संशोधन ।
17. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 51 का संशोधन ।
18. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 52 का संशोधन ।
19. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 55 का संशोधन ।
20. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 58 का संशोधन ।
21. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 61 का संशोधन ।
22. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 78 का संशोधन ।
23. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 के अनुसूची 17 का संशोधन ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2001

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06,2001) में संशोधन के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ- (क) यह अधिनियम झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा ।

(ख) यह तुरत प्रवृत होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा-3 का संशोधन । —झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 [(झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट)] की धारा 3 की उप-धारा (i) में द्वितीय पंक्ति में शब्द "ग्रामों के समूह का ग्राम" के स्थान पर शब्द "ग्रामों के समूह को ग्राम सभा" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

3. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 6 का संशोधन । —उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (ii) में प्रथम वाक्य के बाद शब्द "यदि" के बाद एवं शब्द "इस" के पूर्व, शब्द "मुखिया" अन्तःस्थापित किया जायेगा ।

4. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 8 का संशोधन । —उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (iii) में चौथी पंक्ति में शब्द "मान्यता प्राप्त व्यक्ति" एवं शब्द 'जो ग्राम प्रधान" के बीच शब्द "हो", अन्तःस्थापित किया जायेगा ।

5. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 10 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 5 के खण्ड (i) में शब्द "जोहार स्थान" के स्थान पर शब्द "जाहेर थान", प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 16 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 16 में उद्धृत प्रावधान को उपधारा "(i)" के रूप में संख्यांकित किया जायेगा। तत्पश्चात् एक नई उपधारा निम्न प्रकार जोड़ी जायेगी, यथा —"(ii) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से विहित रीति से सीधे निर्वाचन द्वारा एक सदस्य निर्वाचित किया जायेगा।"

7. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 17 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (क) के खण्ड (5) के अंत में शब्द "आवंटन के लिए अपवर्जित कर दिया जायेगा" के स्थान पर शब्द "आवंटन के लिए विहित रीति से अपवर्जित कर दिया जायगा", प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

8. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा की 18 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (ii) में शब्द "किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होगा" के स्थान पर शब्द "उस पंचायत अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित किए जाने क लिए पात्र होगा जिसकी मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित है", प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

9. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 21 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (ख) में उद्धृत प्रावधान को उपधारा "(i," के रूप में संख्यांकित किया जायेगा, तत्पश्चात् एक नई उपधारा निम्न प्रकार जोड़ी जायेगी, यथा–"(ii) अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों के मुखिया एव उप-मुखिया के समस्त पदों के एक तिहाई से अन्यून स्थान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा ऐसे स्थान यथा विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चक्रानुक्रम से आवंटित किया जायेगा"।

10. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 22 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा–"(घ) सामान्य क्षेत्रों में उपमुखिया के निर्वाचन में धारा

21 (क) के प्रावधान के अनुरूप एवं अनुसूचित क्षेत्रों में उपमुखिया के निर्वाचन में धारा 21 (ख) के प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।"

11. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 26 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) में शब्द "जिला दंडाधिकारी/ उपायुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग", प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

12. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 36 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (क) में :—

(i) खण्ड (4) में शब्द "प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक पंचायत समिति", प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ii) खण्ड (5) में शब्द "आवंटन के लिए अपवर्जित कर दिया जायेगा" के स्थान पर शब्द "आवंटन के लिए विहित रीति से अपवर्जित कर दिया जायेगा", प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(iii) खण्ड (6) के द्वितीय परन्तुक के अंत में पूर्णविराम "।" के स्थान पर अर्द्धविराम ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13. झारखण्ड अधिनियम 06.2001 की धारा 37 का संशोधन—उक्त अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (2) में शब्द "किसी पंचायत समिति के पदधारी के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए पात्र होगा" के स्थान पर शब्द "उस पंचायत समिति अथवा उसके क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए पात्र होगा जिसके मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित है" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

14. झारखण्ड अधिनियम 06,2001 की धारा 40 का संशोधन—उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (ख) में निम्नलिखित एक "परन्तुक" जोड़ा गया जायेगा, यथा "परन्तु यह कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक जिले के प्रमुख एवं उपप्रमुख के समस्त पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा ऐसे स्थान यथाविहित रीति से जिला के विभिन्न पंचायत समितियों में चक्रानुक्रम से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आवंटित किए जायेंगे"।

15. झारखण्ड अधिनियम 06,2001 की धारा 43 संशोधन- उक्त अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

16. झारखण्ड अधिनियम 06,2001 की धारा 49 का संशोधन—उक्त अधिनियम की धारा 49 में :—

(i) उप-धारा (2) को उप-धारा "(3)" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा,

(ii) उप-धारा (1) एवं उप-धारा (3) के बीच एक नयी उप-धारा अन्तः स्थापित की जायेगी, यथा "(2) जिला परिषद् के सभी सदस्यों को परिषद की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा ।"

17. झारखण्ड अधिनियम 06,2001 की धारा 51 का संशोधन—उक्त अधिनियम की धारा 51 को उप-धारा (क) के खण्ड (5) में शब्द "आवंटन के लिए अपवर्जित कर दिया जायेगा' के स्थान पर शब्द "आवंटन के लिए विहित रीति से अपवर्जित कर दिया जायेगा" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

18. झारखण्ड अधिनियम 06,2001 की धारा 52 का संशोधन—उक्त अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) में शब्द "किसी जिला परिषद् के पदधारी के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होगा" के स्थान पर शब्द "उस जिला परिषद् अथवा उसके क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होगा जिसकी मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित है" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

19. झारखण्ड अधिनियम 06,2001 की धारा 55 का संशोधन—उक्त अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-"(ख) जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में) :—

अनुसूचित क्षेत्रों में जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे;

परन्तु यह कि राज्य स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों के जिला परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद अनुसूचित जनजाति की

महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा ऐसे स्थान यथाविहित रीति से राज्य के ऐसे विभिन्न जिला परिषदों में चक्रानुक्रम से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।"

20. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 58 का संशोधन—उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग", प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

21. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 61 का संशोधन—उक्त अधिनियम की धारा 61 में :—

(i) उप-धारा (क) में शब्द "प्रत्येक पंचायत समिति" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक जिला परिषद", प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) उप-धारा (ख) में शब्द "पंचायत समिति" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद", प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iii) उप-धारा (ख) के बाद एक नयी उप-धारा अन्तः स्थापित किया जायेगा, यथा—"(ग) किसी जिला परिषद का गठन करने के लिये निर्वाचन उप-धारा (क) में विनिर्दिष्ट जिला परिषद की कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व और उसके विघटन की स्थिति में, जिला परिषद के विघटन की तिथि से छः माह का अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा कर लिया जायेगा ;

परन्तु, यह कि जिस कार्यावधि तक विघटित जिला परिषद कार्यरत रहती यदि वह शेष अवधि छः माह से कम हो तो, ऐसी अवधि के लिए जिला परिषद के गठन के लिए इस धारा के अधीन किसी प्रकार का निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा ;

परन्तु, यह और कि किसी जिला परिषद की अवधि के अवसान के पूर्व उस जिला परिषद के विघटन पर गठित जिला परिषद उस अवधि के केवल उतने शेष भाग के लिये बनी रहेगी जिसके लिए विघटित जिला परिषद यदि इस प्रकार विघटित नहीं की जाती तो उप-धारा (क) के अधीन बनी रहती ।"

22. झारखण्ड अधिनियम 06,2001 की धारा 78 का संशोधन —उक्त अधिनियम की धारा 78 की उप-धारा (1) में अंक "10" एवं कोष्टक तथा कोष्टक के भीतर अंक "(6)" के स्थान पर अंक, वर्ण एवं शब्द "10(i) (क) एवं 10(5)" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

23. झारखण्ड अधिनियम 06,2001 के अध्याय 17 का संशोधन—उक्त अधिनियम के अध्याय 17 की कंडिका 3 तथा 4 में प्रयुक्त शब्द "सांस्थित" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में कुछ लिपिकीय भूलों के निराकरण एवं कुछ आवश्यक प्रावधानों का समावेश करने जिससे पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य एवं महिलाओं को भागीदारी दिलाने हेतु झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2001 को प्रतिस्थापित करना आवश्यक समझा गया है।

तद्नुसार इस विधेयक में आवश्यक प्रावधान किया गया है जिसे अधिनियमित कराना इस विधेयक का अभीष्ट है।

भारसाधक सदस्य।

झा० रा० मु० रांची—(विधि) 2-300—11-12-2001—शनि म०ड०।